


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 113/2022 शीर्षक किशाना बनाम रायूखाल

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
24/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। उम्मीद पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अ अधिवक्ता वारी ने उम्मीद में नोटिस नर कोर्ट मार्गवाही नहीं चाही जाने बाबत निवेदन किया गया। अधिवक्ता वारी द्वारा उम्मीद में कोर्ट मार्गवाही नहीं चाहेने से मामले अब कोर्ट मार्गवाही शेष नहीं रहती है। अतः वारी माका नोटिस में ध्यान किया जाये। पत्रावली फंक्शन शुभाहो, पम्बल से कमरी जाये</p>	<p>Net pres शेजे थुलम रड.</p>


सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द